कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

Phone: & Fax *07744-225036*

क्र./535/RUSA /2016 राजनांदगांव दिनांक 13/06/2016

//निविदा आमंत्रण//

मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा संचार कौशल कम्प्युटर शिक्षा एवं सामान्य व्यवहार कौशल का ज्ञान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संचालन हेतु योग्य एजेन्सी/फर्म से सीलबंद लिफाफा में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म कार्यक्रम एवं अन्य विस्तृत विवरण महाविद्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 07/07/2016 तक रू. 500/- के शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत विवरण महाविद्यालय कें वेबसाईट **www.digvijaycollege.com** से डाउनलोड भी किया जा सकता है, परन्तु निविदा के साथ रू. 500/- का शुल्क जो किसी राष्टीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होकर प्राचार्य शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव के नाम पर देय हो। संलग्न करना आवश्यक होगा।

निर्धारित प्रपत्र में निविदा कार्यालयीन समय में दिनांक 07/07/2016 अपरान्ह 3:00 बजे तक महाविद्यालय में जमा कराया जाकर पावती प्राप्त करना आवश्यक होगा। डाक में विलम्ब अथवा समय पर प्राप्त नही होने वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इसके लिए महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

प्राप्त निविदाओं में से तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये एजेन्सी/फर्म के ही वित्तीय निविदा फार्म निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा के संबंध में गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा एवं किसी को भी इस संबंध में कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(डॉ.आर.एन.सिंह)
प्राचार्य
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय
राजनांदगॉव (छ.ग.)

मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम
निविदा प्रपत्र

1. कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के तहत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत इक्वीटी इनीशिएटिव्ह घटक के तहत तथा छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के रोजगारपरक क्षमताओं का विकास कर उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करना है एवं उनकी रचनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी क्षमताओं का उन्नयन करना है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा संचार कौशल कम्प्युटर शिक्षा एवं सामान्य व्यवहार कौशल का ज्ञान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिया जाना है। अंग्रेजी भाषा संचार कौशल–40 घंटा कम्प्युटर शिक्षा– 40 घंटा सामान्य व्यवहार कौशल – 20 घंटा – इस प्रकार कुल 100 घंटों का प्रशिक्षण चयनित विद्यार्थियों को चयनित महाविद्यालयों में ही दिया जाना है। विवरण निम्नानुसार है –

(1) अंग्रेजी भाषा संचार कौशल हेतु यूरोपियन स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क आधारित पाठ्यक्रम संचालित किया जावेगा तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रमाण पत्र दिया जावेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उक्त प्रमाण पत्र की स्वीकार्यता रोजगार प्रदाय करने वाले कंपनीयों/एजेन्सीयों में हो यह सुनिश्चित किया जाना है।

(2) इसी प्रकार कम्प्युटर आधारित दक्षता/शिक्षा के अंतर्गत जिला स्तर पर एन.आई.सी.द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम संचालित किया जाना है तथा पाठ्यक्रम पश्चात् उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा दिया जाना है।

(2) सामान्य व्यवहार कौशल अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु पाठ्यक्रम संचालित किया जाना है, जिससे छात्र प्रतिस्पर्धा में आत्मविश्वास के साथ भाग ले सके तथा उनके रोजगार परखता में वृद्धि हो सके। इसके अंतर्गत योगाभ्यास समूह चर्चा मॉक इंटरव्यूह एवं अच्छे नागरिक गुण एवं आवश्यक नैतिक मूल्यों का विकास सम्मिलित रहेगा। इस पाठ्यक्रम का निर्धारण जिले के एन.एस.एस./एन.सी.सी. प्रभारियों के द्वारा तैयार किया जायेगा।

(4) उपरोक्त पाठ्यक्रम का संचालन संबंधित महाविद्यालय में ही किया जाना
आवश्यक होगा। इस हेतु न्यूनतम लाभार्थी संख्या का निर्धारण महाविद्यालय
प्रशासन / निविदा समिति के परामर्श से किया जा सकता है।

(5) कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय परिसर में ही कक्षा का उपयोग, विद्युत
व्यवस्था का उपयोग करने एवं उपलब्ध कम्प्यूटर का उपयोग करने की अनुमति
दी जावेगी परन्तु इनमें से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह
उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य नही होगा।

(6) सफल फर्म / एजेंसी / संस्था को कार्यक्रम संचालन हेतु एवं दिन-प्रतिदिन के
आधार पर समन्वय हेतु महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक / प्राचार्य को
संपर्क हेतु नामांकित किया जायेगा जिससे फर्म / एजेंसी / संस्था को कार्यक्रम
संचालन में असुविधा ना हो।

(7) सी0ई0एफ0आर0 सर्टिफिकेशन उक्त अंग्रेजी भाषा संचार कौशल से संबंधित
प्रमाण पत्र देने हेतु अधिकृत संस्था के द्वारा दिया जायेगा परन्तु कम्प्यूटर शिक्षा
एवं व्यवहार कौशल से संबंधित प्रमाण पत्र एन0आई0सी0. / एन0सी0सी0 /
एन0एस0एस0 के मूल्यांकन उपरांत महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(8) सभी घटकों से संबंधित मूल्यांकन कार्य महाविद्यालय के द्वारा ही
फर्म / एजेंसी / संस्था एवं महाविद्यालय के स्टॉफ के सहयोग से किया जायेगा
एवं अंग्रेजी भाषा संचार कौशल से संबंधित पेपर्स संबंधित अवार्डिंग बाडी को
भेजा जायेगा जिससे मूल्यांकन पश्चात वे प्रमाण पत्र जारी कर सके।

(9) महाविद्यालय के क्षमता विकास हेतु फर्म / एजेंसी / संस्था को कुछ सहायक
प्राध्यापक / प्राध्यापकों के नाम उपलब्ध कराये जायेंगे एवं फर्म / एजेंसी / संस्था
के द्वारा उपयुक्त सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापक का चयन गुणवत्ता की दृष्टि से
किया जा सकेगा।

(10) समय की बचत की दृष्टि से एवं आर्थिक मितव्ययिता की दृष्टि से सफल
कार्यक्रम संचालन के आधार पर फर्म / एजेंसी / संस्था के साथ अनुबंध को पुनः
एक वर्ष के लिये निविदा समिति के द्वारा बढायें जाने हेतु निर्णय लिया जा
सकेगा।

(11) जिले के जिन महाविद्यालयों में उक्त कार्यक्रम का संचालन किया जाना है
इसका निर्णय जिला निविदा समिति के द्वारा लिया जावेगा।

चयनित संस्था / एजेन्सी हेतु आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार होंगे

1. फर्म / एजेंसी / संस्था ISO प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य होगा।
2. फर्म / एजेंसी / संस्था के पास कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस संबंधी पाठ्यक्रम संचालित कर प्रमाण पत्र देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था का अधिकार पत्र अथवा भागीदारी होना आवश्यक होगा।
3. फर्म एजेन्सी / संस्था के पास भारत में किसी भी एक राज्य में सरल क्र.–02 पर उल्लेखित अनुसार परीक्षा / प्रशिक्षण दिये जाने का अनुभव होना आवश्यक होगा। एसी फर्म / एजेंसी / संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास अधिकतम संख्या में प्रशिक्षण / परीक्षा विगत 03 वर्षों में आयोजित करने का अनुभव हो।
4. ऐसी फर्म / एजेंसी / संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी जिनका कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिनिधित्व हो एवं पहले से कार्यरत हो।
5. फर्म / एजेंसी / संस्था के पास संतोषजनक टर्नओवर के साथ ही पूर्णकालिक कर्मचारी एवं मानव संसाधन का होना अनिवार्य होगा, जिससे वे जिले के महाविद्यालयों में कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक कर सके।
6. फर्म / एजेंसी / संस्था का भारत देश में पंजीयन होना आवश्यक होगा एवं ऐसों फर्म / एजेंसी / संस्था को वरियता एवं प्राथमिकता दी जायेगी जो अंग्रेजी भाषा संचार कौशल के साथ–साथ कम्प्युटर शिक्षा एवं सामान्य व्यवहार कौशल के ज्ञान का पाठ्यक्रम संचालन हेतु तैयार हो।
7. फर्म / एजेंसी / संस्था महाविद्यालय के फेकेल्टी / शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने के लिये तैयार हो, जिससे आगामी समय में महाविद्यालय के स्वयं का क्षमता विकसित हो सके।

वित्तीय व्यवस्था

1. कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु RUSA के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर ही जिला स्तर पर गठित निविदा समिति के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।

2. बी.पी.एल. वर्ग के छात्रों से कुल लागत का 10 प्रतिशत तथा ए.पी.एल. वर्ग के छात्रों से कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में लिया जायेगा। शेष राशि का भुगतान कक्षा के तहत इक्वीटि इनेबिएटिक घटक के अंतर्गत उपलब्ध राशि से किया जायेगा ।

3. सीमित संसाधनों को देखते हुए शासन स्तर पर जिलेवार छात्रों की संख्या निर्धारित की गई है । प्रथम चरण में उक्त निर्धारित छात्र संख्या अनुसार RUSA मद से जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया जायेगा । कार्यक्रम की सफलता के आधार पर एवं उपलब्ध संसाधन के आधार पर छात्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी एवं इस संबंध में जिला निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा। पूर्ण शुल्क भुगतान के आधार पर निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

4. <u>अन्य जानकारी</u>
   (अ) पाठ्यक्रम से संबंधित विवरण परिशिष्ट "अ" पर है ।
   (ब) जिले के लिये चयनित महाविद्यालयों की सूची एवं छात्रों की प्रावधिक संख्या परिशिष्ट "ब" पर है ।
   (स) तकनीकी निविदा का प्रारूप परिशिष्ट "स" पर है ।
   (द) वित्तीय निविदा का प्रारूप परिशिष्ट "द" पर है ।

5. <u>धरोहर राशि –</u> प्रत्येक निविदा फार्म के साथ 10,000/- रू. की धरोहर राशि राष्ट्रीकृत बैंक से डी.डी. के रूप में प्राचार्य के नाम से जमा करना होगा । सफल निविदाकार एवं दूसरे क्रम पर स्थित निविदाकार की राशि को रोककर शेष अन्य की धरोहर राशि तत्काल वापस कर दिया जायेगा । दूसरे क्रम पर स्थित निविदाकार की राशि को तीन माह पश्चात लौटाये जाने का निर्णय जिला निविदा समिति के द्वारा लिया जा सकेगा।

6. <u>विवादों का निपटारा –</u> इस कार्यक्रम के संचालन में अंतिम निर्णय जिला स्तरीय निविदा समिति का होगा । यदि कोई विवाद पुनः उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया जायेगा जो अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

7. <u>निविदा जमा करने की विधि –</u>
   निविदा दो भागों में जमा करना होगा । प्रथम भाग तकनीकी बिड एवं द्वितीय भाग वित्तीय बिड । दोनो बिड को अलग–अलग लिफाफों में सीलबंद करके दोनो को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

- सर्वप्रथम तकनीकी बिड समिति के समक्ष खोला जायेगा एवं अर्ह पाये गये निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय बिड निविदा समिति के समक्ष तय समयानुसार खोला जायेगा।
- यदि प्राप्त निविदाओं की संख्या तीन से कम होगा तो जिला स्तरीय निविदा समिति गुणदोष के आधार पर निर्णय ले सकेगी।

प्रपत्र "स"

तकनीकी बिड का प्रारूप

- तकनीकी बिड में फर्म द्वारा दी जाने वाली जानकारी :-
  1. फर्म/संस्था/एजेंसी का नाम
  2. पता
  3. मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी
  4. कार्य अनुभव विवरण।
  5. आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र का विवरण।
  6. कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस पाठ्यक्रम संचालन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार पत्र/भागीदारी प्रमाण पत्र ।
  7. छ0ग0 राज्य में कार्यालय हो अथवा अधिकृत प्रतिनिधि हो, का विवरण।
  8. फर्म/संस्था/एजेंसी का भारत में पंजीयन संबंधी विवरण।
  9. फर्म/संस्था/एजेंसी का टर्नओवर एवं मानव संसाधन संबंधी विवरण।
  10. फर्म/संस्था/एजेंसी के द्वारा कार्यक्रम अंतर्गत तीनों पाठ्यक्रम संचालित करने के संबंध में सहमति/असहमति पत्र।
  11. फर्म/संस्था/एजेंसी के द्वारा महाविद्यालय के चयनित फैकल्टी/स्टॉफ को भी निःशुल्क प्रशिक्षण देने संबंधी सहमति।

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर

(सील सहित)

<u>प्रपत्र "द"</u>

वित्तीय बिड का प्रारूप

- फर्म/संस्था/एजेंसी का नाम
- पता
- मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी
- प्रति विद्यार्थी लिये जाने वाला शुल्क रू.................................

  अक्षरों में ....

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर
(सील सहित)